

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI “क”

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रारूप

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन )

अधिसूचना सं0- 15

दिनांक-28.09.2019

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त, सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कोनमेंजरा , थाना न0 - 104, थाना / अंचल- ठेठईटांगर,, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना - सिमडेगा से रेगारीह कंरसई बोलबा उड़िसा सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (वर्ष 2009-10 ) में ली गई है। अधिघोषणा प्रकाशन की तिथि 08.08.11 , रकबा -4.61 एकड़ का पूर्व में अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर आंशिक रूप से मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। छुटे हुए प्लॉटों का अधियाची विभाग के द्वारा मौजा- कोनमेंजरा (अनुपूरक) हेतु अपेक्षित है। ग्राम - कोनमेंजरा , थाना न0 - 104, थाना / अंचल- ठेठईटांगर,, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - कोनमेंजरा , थाना न0 - 104, थाना /अंचल- ठेठईटांगर,, जिला - सिमडेगा में उपर्युक्त कथित योजना के लिए कमोवेश 0.3175 एकड़ यानि 0.1284 हेक्टेयर मानक माप का रैयती भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या I	खात I सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ0	द0	पु0	प.0	किस् म	संख्य I	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	238	2704	रैयती	टांड तीन	0.0375	रामकेश्वर साहु पिता स्व0 जयचन्द साव	2703 का अंश	सड़क 2704	2709 रास्ता	2704 का अंश	-	-	पूर्व अर्जित	-



यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( झारखण्ड संसोधन ) अधिनियम-2017 के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कानूनगो,  
भू-अर्जन सिमडेगा।

भू-अर्जन पदाधिकारी,  
सिमडेगा।

अपर समाहर्ता,  
सिमडेगा।

उपायुक्त,  
सिमडेगा।

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI “क”

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

**प्रारम्भिक अधिसूचना**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन )

अधिसूचना सं0-15

दिनांक-28.09.2019

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त, सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कोनमेंजरा , थाना न0 - 104, थाना / अंचल- ठेठईटांगर,, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना - सिमडेगा से रेगारीह केरसई बोलबा उड़िसा सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (वर्ष 2009-10 ) में ली गई है। अधिघोषणा प्रकाशन की तिथि 08.08.11 , रकबा -4.61 एकड़ का पूर्व में अधिग्रहण की कार्यवाई पूर्ण कर आंशिक रूप से मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। छुटे हुए प्लॉटों का अधियाची विभाग के द्वारा मौजा- कोनमेंजरा (अनुपूरक) हेतु अपेक्षित है। ग्राम - कोनमेंजरा , थाना न0 - 104, थाना / अंचल- ठेठईटांगर,, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है । अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - कोनमेंजरा , थाना न0 - 104, थाना /अंचल- ठेठईटांगर,, जिला - सिमडेगा में उपर्युक्त कथित योजना के लिए कमोवेश **0.3175 एकड़ यानि 0.1284 हेक्टेयर** मानक माप का रैयती भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्य I	खात I सं0	सर्वे भूखण ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफ ल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ0	द0	पु0	प.0	किस् म	संख्य I	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	238	2704	रैयती	टांड तीन	0.0375	रामकेश्वर साहु पिता स्व0 जयचन्द साव	2703 का अंश	सड़क 2704	2709 रास्ता	2704 का अंश	-	-	पूर्व अर्जित	-
2	60	3257	रैयती	टांड एक	0.03	प्रकाश साव पिता स्व. गिरधारी साव	3256 का अंश	3253 का अंश	2709 रास्ता	3256 का अंश	-	-	-	-

3	238	2824	रैयती	दोन एक	0.025	महेन्द्र बड़ाईक वगै० पिता रायमोहन बड़ाईक	2825 का अंश	2822 का अंश	2823 का अंश	2826 का अंश	—	—	—	—	
4	30	2825	रैयती	दोन एक	0.01	महेन्द्र बड़ाईक वगै० पिता रायमोहन बड़ाईक	2826 का अंश	2824 का अंश	2823 का अंश	2989 रास्ता	—	—	—	—	
5	30	2826	रैयती	मोटा आर	0.025	महेन्द्र बड़ाईक वगै० पिता रायमोहन बड़ाईक	2289 रास्ता	2825 का अंश	2828 का अंश	2989 रास्ता	—	—	—	—	
6	30	2828	रैयती	परती कदीम	0.01	महेन्द्र बड़ाईक वगै० पिता रायमोहन बड़ाईक	2829 का अंश	2827 का अंश	2826 का अंश	2829 का अंश	—	—	—	—	
7	106	2910	रैयती	टांड तीन	0.06	अभिराम टेटे वो धर्मदास टेटे पिता स्व० हेरमुख टेटे	2909 का अंश	2912 का अंश	2910 का अंश	2789 रास्ता	—	—	—	—	
8	44	2742	रैयती	टांड दो	0.05	विक्टर टोप्पो पिता स्व० मतियस टोप्पो	2709 रास्ता	2759 का अंश	2789 रास्ता	2742 का अंश	—	—	—	—	
9	57	3293	रैयती	टांड तीन	0.04	मो० शब्बीर पिता स्व० मो० इसहाक	3292 रास्ता	3294 का अंश	सीमा ना सिया दोहर	3294 का अंश	—	—	—	—	
10	57	3291	रैयती	टांड तीन	0.03	सतीश केवट पिता स्व० मंदिरा केवट	3292 का अंश	2989 रास्ता	3294 का अंश	3289 का अंश	—	—	—	—	
11	219	2789	रैयती	रास्ता	0.00	गंगा टोप्पो पिता बंधन टोप्पो	2789 का अंश	2797 का अंश	2801 का अंश	2789 का अंश	—	—	मकान	—	
					<b>कुल</b>	<b>0.3175</b>									

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( झारखण्ड संसोधन ) अधिनियम-2017 के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त  
सिमडेगा।

ज्ञापांक:-210/भू0अ0, दिनांक:- 30.09.2019

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पंचायत सचिव/मुखिया ग्राम पंचायत – कोनमेंजरा ,प्रखण्ड – टेठईटांगर को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि पंचायत में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी टेठईटांगर को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले के वेबसाईट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला गजट के अंक में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त  
सिमडेगा।

ज्ञापांक:-210/भू0अ0, दिनांक:- 30.09.2019

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रचलित दो स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त  
सिमडेगा।